



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-28052022-236067
CG-DL-W-28052022-236067

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 22] नई दिल्ली, शनिवार, मई 28—जून 3, 2022 (ज्येष्ठ 7, 1944)
No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 28—JUNE 3, 2022 (JYAISTHA 7, 1944)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....	673	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	375	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....	1057	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	6097
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....	67
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....	1301
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं).....	*	भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्क.....	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	673	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	375	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	1	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence.....	1057	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	6097
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	67
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	1301
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1**[PART I—SECTION 1]**

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

शिक्षा मंत्रालय
(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 9 मई 2022

सं. 10-4/2021-यू3(अ)—जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर शिक्षण संस्था को समवत विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने का अधिकार है।

2. और जबकि, केंद्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर अधिसूचना संख्या 9-13/2007-यू.3 (क) दिनांक 4 जून, 2008 के तहत निट्टे विश्वविद्यालय, मैंगलोर, कर्नाटक, जिसमें ए. बी. शेटी मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज शामिल है, को समवत विश्वविद्यालय संस्था घोषित किया गया था। इसके अलावा, उड़ीसा लिफ्ट इरीगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम रवी शंकर पात्रो और अन्य संबंधी सिविल अपील संख्या 17869-17870/2017 तथा विजय कुमार और अन्य बनाम करतार सिंह व अन्य संबंधी सिविल अपील सं. 17902-17905/2017 में दिनांक 03.11.2017 को दिए गए निर्णय आदेश के अनुसार, विश्वविद्यालय शब्द को हटाकर समवत विश्वविद्यालय का नाम 'निट्टे विश्वविद्यालय' से बदलकर 'निट्टे' कर दिया गया था।

3. और इसके अलावा, निट्टे (समवत विश्वविद्यालय), मैंगलोर, कर्नाटक ने निट्टे गांव, उडुपी जिला, कर्नाटक में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने के लिए यूजीसी पोर्टल पर दिनांक 04.08.2021 को ऑनलाइन आवेदन अपलोड किया, जिसमें दो कॉलेज नामतः डॉ. निट्टे शंकरा अद्यंतया मेमोरियल फर्स्ट ग्रेड कॉलेज (एनएसएएमएफजीसी), उडुपी और निट्टे महालिंगा अद्यंतया मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनएमएमआईटी), निट्टे, कर्नाटक शामिल हैं। यूजीसी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (समविश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 के अनुसार आवेदन की जांच करने और अपनी सलाह प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

4. और जबकि, यूजीसी ने बताया कि समवत विश्वविद्यालय के आवेदन की जांच एक विशेषज्ञ समिति, जिसमें अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) के नामित व्यक्ति भी थे, के माध्यम से की गई थी। आयोग ने 26.10.2021 को आयोजित अपनी 553वीं बैठक में विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया, जिसमें निम्नलिखित निर्णय लिया गया:

"आयोग ने यूजीसी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर विचार किया और समवत विश्वविद्यालय की एनएएसी ग्रेडिंग (ए+सीजीपीए 3.40) और एनआईआरएफ रैंकिंग, 2021 (विश्वविद्यालयों की श्रेणी में 77वां स्थान) को ध्यान में रखते हुए निट्टे गांव, उडुपी जिला, कर्नाटक में निट्टे (समवत विश्वविद्यालय), मंगलुरु (कर्नाटक) के ऑफ-कैंपस सेंटर के अनुमोदन की सिफारिश करने का संकल्प लिया। सिफारिशें राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप हैं, जिनमें उच्च शिक्षण संस्थानों के सशक्तिकरण और श्रेणीबद्ध स्वायत्तता की समग्र संस्कृति और संबद्ध कॉलेजों की प्रणाली को धीरे-धीरे समाप्त करने की कल्पना की गई है। तथापि, यूजीसी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार ऑफ-कैंपस के कामकाज की समीक्षा की जाएगी। समवत विश्वविद्यालय को यह सुनिश्चित करना होगा कि ऑफ-कैंपस में मानक मुख्य परिसर के समान बनाए रखे जाएं और सभी यूजीसी नियमों और विनियमों का दृढ़ता से पालन किया जाए"।

5. और जबकि, मंत्रालय में आयोग की सलाह पर विचार किया गया और कतिपय शर्तों को पूरा करने के लिए आशय पत्र (एलओआई) जारी करने का निर्णय लिया गया। तदनुसार, मंत्रालय ने तीन वर्षों की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के लिए 12.01.2022 को एलओआई जारी किया है:—

- I. निट्टे, कर्नाटक, मैंगलोर विश्वविद्यालय और विश्वेश्वरैया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से क्रमशः डॉ. निट्टे शंकराचार्य अद्यंतया मेमोरियल फर्स्ट ग्रेड कॉलेज (एनएसएएमएफजीसी), उडुपी और निट्टे महालिंगा अद्यंतया मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनएमएमआईटी) की संबद्धता समाप्त करने संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।
- II. निट्टे, कर्नाटक को इस आशय की घोषणा करनी होगी कि पहले से नामांकित छात्र अपने संबंधित संबद्ध विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री जारी रखेंगे और उसे पूर्ण करेंगे।
- III. निट्टे, कर्नाटक इस आशय की घोषणा करनी होगी कि मौजूदा बुनियादी ढांचे को या तो स्थानांतरित कर दिया जाएगा या ऑफ-कैंपस स्थापित करने के लिए आवश्यक नए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा।

IV. निट्टे, कर्नाटक यूजीसी विनियम, 2019 के अनुसार 10.00 करोड़ रुपये की समग्र निधि बनाए रखने का एक पत्र प्रस्तुत करेगा।

V. निट्टे, कर्नाटक एआईसीटीई/यूजीसी द्वारा अनुशंसित संकाय संवर्ग अनुपात को बनाए रखने के संबंध में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा।

6. और इसके अलावा जबकि, समवत विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत एलओआई की शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट, यूजीसी द्वारा सत्यापित की गई थी। यूजीसी ने सूचित किया कि समवत विश्वविद्यालय ने एलओआई की शर्तों को पूरा किया है और इसे यूजीसी के अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित किया गया है।

7. और अब, केंद्र सरकार, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, निट्टे (समवत विश्वविद्यालय), मैंगलोर, कर्नाटक को निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन निट्टे गांव, उडुपी जिला, कर्नाटक में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने की अनुमति देती है:

I. डॉ. निट्टे शंकरा अद्यंतया मेमोरियल फर्स्ट ग्रेड कॉलेज (एनएसएएमएफजीसी), उडुपी और निट्टे महालिंगा अद्यंतया मेमोरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एनएमएएमआईटी) के मौजूदा बुनियादी ढांचे को या तो स्थानांतरित कर दिया जाए या ऑफ-कैंपस स्थापित करने के लिए आवश्यक नए बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाए।

II. एआईसीटीई/यूजीसी द्वारा अनुशंसित संकाय संवर्ग अनुपात को बनाए रखने की रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

III. पहले से नामांकित छात्र अपने संबंधित संबद्ध विश्वविद्यालय से अपनी डिग्री जारी रखेंगे और अपनी डिग्री पूरी करेंगे।

8. सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से पांच साल की अवधि के बाद आयोग द्वारा उक्त ऑफ-कैंपस की समीक्षा की जाएगी। यह अनुमति यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 और केंद्र सरकार, यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी अन्य प्रासंगिक मानदंडों/नियमों/विनियमों/निर्देशों के अनुपालन के अध्यक्षीन है।

विजयलक्ष्मी महादेवन
अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 13 मई 2022

सं. 10/3/2019-यू3(अ)—जबकि, केंद्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर शिक्षण संस्था को समवत विश्वविद्यालय के रूप में घोषित करने का अधिकार है।

2. और जबकि, केंद्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 13 जनवरी, 2003 की अधिसूचना संख्या 9-25/2000-यू-3 द्वारा, यूजीसी की सलाह पर पांच साल की अवधि के बाद समीक्षाधीन अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयंबटूर, तमिलनाडु को एक समवत विश्वविद्यालय संस्थान घोषित किया था, जिसमें निम्नलिखित पांच संस्थान शामिल थे:

- i. अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, एट्टीमदई कैंपस, कोयंबटूर;
- ii. अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, एट्टीमदई कैंपस, कोयंबटूर;
- iii. अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर, कोच्चि;
- iv. अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्युटिकल साइंसेज, कोच्चि; और
- v. अमृता इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंसेज, कोच्चि।

3. और जबकि, केंद्र सरकार ने, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बाद में यूजीसी की सलाह पर अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयंबटूर, तमिलनाडु के समवत विश्वविद्यालय दर्जे को बढ़ा दिया था।

4. और इसके अलावा, अमृता विश्व विद्यापीठम (समवत विश्वविद्यालय), कोयंबटूर, तमिलनाडु ने अमरावती, आंध्र प्रदेश में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने के लिए यूजीसी पोर्टल पर दिनांक 28.02.2020 को एक ऑनलाइन आवेदन अपलोड किया था। यूजीसी से अनुरोध किया गया था कि यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 के अनुसार आवेदन की जांच करें और अपनी सलाह प्रदान करें।

5. और जबकि, यूजीसी ने दिनांक 21 मार्च, 2022 के अपने पत्र संख्या 40-11/2019 (सीपीपी-आई/डीयू) द्वारा सूचित किया कि समवत विश्वविद्यालय के आवेदन की जांच यूजीसी के अध्यक्ष द्वारा गठित एक स्थायी समिति द्वारा की गई थी। समिति ने तीन साल की अवधि के भीतर कतिपय शर्तों को पूरा करने के लिए अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयंबटूर, तमिलनाडु को आशय पत्र (एलओआई) जारी करने की सिफारिश की। अध्यक्ष, यूजीसी द्वारा स्थायी समिति की सिफारिश को अनुमोदित किया गया था।

6. और जबकि, यूजीसी की सलाह को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय ने तीन वर्षों की अवधि के भीतर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के लिए 31.03.2022 को आशय पत्र जारी किया:—

- i. 10 करोड़ रुपये की समग्र निधि को स्थायी रूप से समवत विश्वविद्यालय के नाम पर अपरिवर्तनीय सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में रखा जाएगा।
- ii. जहां कहीं आवश्यक हो, कार्यक्रम को संबंधित सांविधिक परिषदों से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- iii. कम से कम 25 शिक्षकों की संकाय क्षमता के साथ शिक्षक छात्र अनुपात 1:20 से कम नहीं होना चाहिए और नियमित कक्षा पद्धति के तहत कम से कम 500 छात्र नामांकित होने चाहिए जिनमें एक तिहाई पीजी/शोध छात्र हों और कम से कम शोध कार्यक्रम वाले 3 पीजी विभाग हों।
- iv. आधारभूत संरचना यूजीसी/प्रासंगिक सांविधिक परिषद (परिषदों) द्वारा निर्धारित होगी।
- v. निर्मित क्षेत्र प्रति छात्र 30 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा जिसमें शैक्षणिक, प्रशासनिक, सामान्य और मनोरंजक सुविधाएं शामिल होंगी।

7. और इसके अलावा, समवत विश्वविद्यालय द्वारा आशय पत्र की शर्तों के संबंध में यथा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट, यूजीसी द्वारा सत्यापित की गई। यूजीसी ने दिनांक 9 मई, 2022 के अपने पत्र संख्या 40-11/2019 (सीपीपी-आई/डीयू) के माध्यम से सूचित किया कि समवत विश्वविद्यालय ने आशय पत्र की शर्तों को पूरा कर लिया है और इसे अध्यक्ष, यूजीसी द्वारा अनुमोदित किया गया है।

8. अब, इसलिए, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, यूजीसी की सलाह पर, अमृता विश्व विद्यापीठम, कोयंबटूर, तमिलनाडु को अमरावती आंध्र प्रदेश में एक ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू करने की अनुमति देती है जो निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अध्यक्षीन है:—

- i. समवत विश्वविद्यालय अपरिवर्तनीय सरकारी प्रतिभूतियों के माध्यम से स्थायी रूप से 10 करोड़ रुपये की समग्र निधि बनाए रखेगा।
- ii. शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए अनुमोदन भौतिकी विभाग, रसायन विज्ञान विभाग और गणित विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित निम्नलिखित 8 कार्यक्रमों तक ही सीमित होगा:—
 - क) एमएससी भौतिकी (60 छात्रों की दाखिला क्षमता के साथ 5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम)
 - ख) एमएससी भौतिकी (60 छात्रों की दाखिला क्षमता के साथ 2 वर्षीय पाठ्यक्रम)
 - ग) एमएससी रसायन (60 छात्रों की दाखिला क्षमता के साथ 5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम)
 - घ) एमएससी रसायन (60 छात्रों की दाखिला क्षमता के साथ 2 वर्षीय पाठ्यक्रम)
 - ङ) एमएससी गणित (60 छात्रों की दाखिला क्षमता के साथ 5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम)
 - च) एमएससी गणित (60 छात्रों की दाखिला क्षमता के साथ 2 वर्षीय पाठ्यक्रम)
 - छ) एमएससी डाटा साइंस (60 छात्रों की दाखिला क्षमता के साथ 5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम)
- iii. एमएससी कंप्यूटर साइंस (120 छात्रों की दाखिला क्षमता के साथ 5 वर्षीय एकीकृत पाठ्यक्रम)
- iv. अमरावती परिसर में नए पाठ्यक्रम (पाठ्यक्रमों) को केवल मौजूदा यूजीसी विनियमों के प्रावधानों के अनुसार समवत विश्वविद्यालय द्वारा शुरू किया जाएगा।

9. सरकार द्वारा अधिसूचना की तारीख से पांच साल की अवधि के बाद आयोग द्वारा उक्त ऑफ-कैंपस की समीक्षा की जाएगी। यह अनुमति यूजीसी (समवत विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2019 और केंद्र सरकार, यूजीसी और अन्य सांविधिक परिषदों द्वारा समय-समय पर जारी अन्य संगत मानकों/नियमों/विनियमों/निर्देशों के अनुपालन के अध्यक्षीन है।

विजयलक्ष्मी महादेवन
अवर सचिव

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 9th May 2022

No.10-4/2021-U3 (A): Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No. 9-13/2007-U.3(A) dated 4th June, 2008, on the advice of UGC, had declared Nitte University, Mangalore, Karnataka consisting of A.B. Shetty memorial Institute of Dental Sciences as an Institution Deemed to be University. Further, pursuant to the judgment Order dated 03.11.2017 in Civil Appeal Nos. 17869-17870/2017 titled as Orissa Lift Irrigation Corp. Ltd versus Rabi Sankar Patro & Ors. and Civil Appeal Nos. 17902-17905/2017 titled as Vijay Kumar & Ors vs. Kartar Singh & Ors held, the name of deemed to be University was changed from 'Nitte University' to 'Nitte' by deleting the word University.

3. And further whereas, Nitte (Deemed to be University), Mangalore, Karnataka uploaded online application dated 04.08.2021 on UGC Portal for starting of an off-campus centre at Nitte Village, Udupi District, Karnataka comprising two Colleges namely Dr. Nitte Shankara Adyanthaya Memorial First Grade College (NSAMFGC), Udupi and Nitte Mahalinga Adyanthaya Memorial Institute of Technology (NMAMIT), Nitte, Karnataka. The UGC was asked to examine the application as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019 and furnish its advice.

4. And whereas, UGC conveyed that the application of the deemed to be University was examined through an Expert Committee consisting of the nominee of All India Council for Technical Education (AICTE). The report of the Expert Committee was considered by the Commission in its 553rd meeting held on 26.10.2021 in which the following was resolved:

"The Commission considered the report of the UGC Expert Committee and resolved to recommend approval of Off-Campus Centre of Nitte (Deemed to be University), Mangaluru (Karnataka) at Nitte Village, Udupi Dt., Karnataka keeping in view the NAAC grading (A+ CGPA 3.40) and NIRF ranking, 2021 (77th in Universities category) of the Deemed to be University. The recommendations are in tune with the National Education Policy wherein the overall culture of empowerment & graded autonomy to higher educational Institutions and gradually phasing out the system of affiliating colleges is visualized. However, the functioning of the off-campus shall be reviewed as per the provisions of UGC Regulations. The Deemed to be University should ensure that the standard in the off-campus are maintained similar to the main campus and all the UGC Rules and Regulations are followed strictly".

5. And whereas, the advice of the Commission was considered in the Ministry and decided to issue Letter of Intent (LoI) for fulfilment of certain conditions. Accordingly, Ministry issued LoI on 12.01.2022 for fulfilment of the following conditions within a period of three years:

- I. Nitte, Karnataka shall submit a certificate regarding disaffiliation of Dr. Nitte Shankara Adyanthaya Memorial First Grade College (NSAMFGC), Udupi and Nitte Mahalinga Adyanthaya Memorial Institute of Technology (NMAMIT) from Mangalore University and Visvesvaraya Technological University respectively.
- II. Nitte, Karnataka shall submit the declaration that will be to the extent that the students already enrolled will continue and complete their degree from their respective affiliated University.
- III. Nitte, Karnataka shall submit the declaration that will be to the extent that the existing infrastructure will either be transferred or new infrastructure will be created as may be required for setting up an Off-Campus.
- IV. The Nitte, Karnataka shall submit a letter of maintaining corpus fund of Rs. 10.00 Crore as per the UGC Regulations, 2019.
- V. The Nitte, Karnataka shall submit a certificate regarding maintaining of cadre ratio of faculty, as recommended by AICTE/UGC.

6. And further whereas, the compliance report in respect of conditions of LoI, as submitted by the deemed to be University, was verified by the UGC. UGC informed that the deemed to be University has fulfilled the conditions of the LoI and the same is approved by the Chairman, UGC.

7. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby permit Nitte (Deemed to be University), Mangalore, Karnataka for starting of an off-campus centre at Nitte Village, Udupi District, Karnataka subject to submission of fulfilment report of the following conditions:

- I. The existing infrastructure of Dr. Nitte Shankara Adyanthaya Memorial First Grade College (NSAMFGC), Udupi and Nitte Mahalinga Adyanthaya Memorial Institute of Technology (NMAMIT) will either be transferred or new infrastructure will be created as may be required for setting up an Off-Campus.
- II. Report of maintaining cadre ratio of faculty, as recommended by AICTE/UGC.
- III. The students already enrolled will continue and complete their degree from their respective affiliated University.

8. The said off-campus shall be reviewed by the Commission after a period of five years from the date of Notification by the Government. This permission is subject to the compliance of the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019 and other relevant Norms/Rules/Regulations/Directions issued by the Central Government, UGC and other Statutory Councils, from time to time.

VIJAYALAXMI MAHADEVAN
Under Secretary

New Delhi, the 13th May 2022

No. 10/3/2019-U3(A)—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an institution of higher learning as an Institution deemed to be University.

2. And whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, vide Notification No. 9-25/2000-U.3 dated 13th January, 2003, on the advice of UGC, had declared Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu as an Institution deemed to be University consisting of following five institutes subject to review after five years:

- i. Amrita Institute of Technology and Science, Ettimadai Campus, Coimbatore;
- ii. Amrita Institute of Management, Ettimadai Campus, Coimbatore;
- iii. Amrita Institute of Medical Sciences and Research Centre, Kochi;
- iv. Amrita Institute of Pharmaceutical Sciences, Kochi; and
- v. Amrita Institute of Nursing Sciences, Kochi.

3. And whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, subsequently extended the deemed to be University status of Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu, on the advice of UGC.

4. And further whereas, Amrita Vishwa Vidyapeetham (Deemed to be University), Coimbatore, Tamil Nadu uploaded an online application dated 28.02.2020 on UGC Portal for starting of an off-campus centre at Amaravati, Andhra Pradesh. The UGC was requested to examine the application as per the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019 and furnish its advice.

5. And whereas, UGC, vide its letter No.40-11/2019 (CPP-I/DU) dated 21st March, 2022, conveyed that the application of the deemed to be University was examined by a Standing Committee constituted by Chairman, UGC. The Committee recommended issuing of Letter of Intent (LoI) to Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu for fulfilment of certain conditions within a period of three years. The recommendation of the Standing Committee was approved by the Chairman, UGC.

6. And whereas, taking into consideration the advice of UGC, Ministry issued LoI on 31.03.2022 for fulfilment of the following conditions within a period of three years:

- i. Corpus fund of Rs. 10 crore shall be maintained permanently in the name of the Deemed to be University by way of irrevocable Government Securities.
- ii. The programme shall have approval from the relevant Statutory Council(s), wherever required.
- iii. The teacher student ratio should not be less than 1:20 with a faculty strength of not less than 25 teachers and a minimum of 500 students on the rolls under the regular class room mode, of which not less than one third being PG/research students; and at least 3 PG departments with research programmes.

- iv. The infrastructure shall be as prescribed by the UGC/relevant Statutory Council(s).
- v. The built up area shall not be less than 30 sq. mts. per student which shall include academic, administrative, common and recreational facilities.

7. And further whereas, the compliance report in respect of conditions of LoI, as submitted by the deemed to be University, was verified by the UGC. UGC, vide its letter No.40-11/2019 (CPP-I/DU) dated 9th May, 2022, informed that the deemed to be University has fulfilled the conditions of the LoI and the same is approved by the Chairman, UGC.

8. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby permits Amrita Vishwa Vidyapeetham, Coimbatore, Tamil Nadu for starting of an off-campus centre at Amaravati, Andhra Pradesh subject to submission of fulfilment report of the following conditions:

- i. The Deemed to be University shall maintain Corpus fund of Rs. 10 Crore permanently in nature by way of irrevocable Government Securities.
- ii. The approval for the academic year 2022-23 shall be confined to the following 8 programmes proposed under Deptt. of Physics, Deptt. of Chemistry & Deptt. of Mathematics:
 - a) M.Sc Physics (5 years integrated with 60 intake)
 - b) M.Sc Physics (2 years with 60 intake)
 - c) M.Sc Chemistry (5 years integrated with 60 intake)
 - d) M.Sc Chemistry (2 years with 60 intake)
 - e) M.Sc Mathematics (5 years integrated with 60 intake)
 - f) M.Sc Mathematics (2 years with 60 intake)
 - g) M.Sc Data Science (5 years integrated with 60 intake)
 - h) M.Sc Computer Science (5 years integrated with 120 intake)
- iii. The new Course(s) at the Amaravati Campus shall be started by the deemed to be University only in accordance with the provisions of the prevailing UGC Regulations.

9. The said off-campus shall be reviewed by the Commission after a period of five years from the date of Notification by the Government. This permission is subject to the compliance of the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2019 and other relevant Norms/Rules/Regulations/Directions issued by the Central Government, UGC and other Statutory Councils, from time to time.

VIJAYALAKSHMI MAHADEVAN
Under Secretary